फा.सं. 12011/01/2017-रा.भा(नीति)
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

एनडीसीसी-।। भवन,बी विंग, चौथा तल,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001,
दिनांक: 07 सितंबर,2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय- हिंदी सलाहकार समिति के गैर-सरकारी सदस्यों के लिए परिचय पत्र, पार्किंग कार्ड, विजिटिंग कार्ड आदि जारी किए जाने के संबंध में ।

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में हिंदी सलाहकार समितियों में गैर सरकारी सदस्यों को नामित किया जाता है। इस संबंध में प्राय: ऐसी मांग आती रहती है कि हिंदी सलाहकार समिति के गैर सरकारी सदस्यों को पहचान पत्र आदि जारी किया जाए।

2. इस संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि विभिन्न मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समितियों के गैर सरकारी सदस्यों का कार्य संबंधित मंत्रालय के माननीय मंत्री को हिंदी के प्रयोग के संबंध में सलाह देना है न कि मंत्रालय के अधीनस्थ विभागों/कार्यालयों का निरीक्षण करना अथवा निचले स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों को सलाह देना। हिंदी सलाहकार समिति की बैठकें वर्ष में आमतौर पर दो बार होती है साथ ही समिति के गैर सरकारी सदस्यों को मंत्रालयों/विभागों अथवा कार्यालयों के निरीक्षण का अधिकार नहीं है। इसलिए समिति के गैर सरकारी सदस्यों के लिए किसी प्रकार के स्थायी परिचय पत्र आदि की आवश्यकता नहीं महसूस की जाती है।

3. अत: हिंदी सलाहकार समिति के गैर सरकारी सदस्यों को परिचय पत्र, पार्किंग कार्ड एवं विजिटिंग कार्ड आदि नहीं जारी किया जा सकता है।

4. इसे माननीय गृह मंत्री जी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(डॉ. श्रीप्रकाश शुक्ल)
संयुक्त निदेशक (नीति)

प्रतिलिपि 1. संयुक्त सचिव (प्रशा.), भारत सरकार के समस्त मंत्रालय/विभाग
2. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., राजभाषा विभाग ।